लखनऊ जिले के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर एक जांच

विनय कुमार, रिसर्च स्कालर, इतिहास विभाग,
डॉ0 सोनू सारण, सहायक आचार्य इतिहास विभाग
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबडेवाल विश्वविद्यालय, झुनझुनू राजस्थान।

https://doi.org/10.61410/had.v19i2.183

सारांश

यह पत्रा भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और महिला सशक्तिकरण के तरीकों और योजनाओं पर प्रकाश डालता है। सशक्तिकरण सामाजिक विकास की मुख्य प्रक्रिया है, जोमहिलाओं को ग्रामीण समुदायों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सतत विकास में भाग लेने में सक्षम बनाती है।आज महिलाओं का सशक्तिकरण 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से महिला सशक्तिकरण अभी भी वास्तविकता का एक भ्रम है। महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से समाज मेंपारंपरिक रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कैसे महिलाएं विभिन्न सामाजिक बुराइयों का शिकार बनती है। स्वंय सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने एक नई पहचान बनाई है। इसके साथ ही स्वंय सहायता समूह ने समूह की महिलाओं को अन्य महिलाओं के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करने तथा एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने मे विशेष योगदान दिया है। महिलाओं की स्थिति देश के विकास को प्रदर्शित करती है। विश्व काकोई भी देश महिलाओं को हासिए पर रख कर अपना आर्थिक विकास नहीकर सकता है। महिलाओं को देश के विकास की मुख्यधारा मे जोडना हीहोगा। इन्हें सशक्त बनाने के लिए उन्हें निणर्य सक्षम बनाना होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और स्वयं के जीवन मे निणर्य लेने की क्षमता ही सशक्तिकरण है। सयुंक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 से अन्तर्राष्ट्रीय महिलादिवस की शुरूआत की गई तब से विश्व मे महिला सशक्तिकरण एक जागरूकता अभियान बन गया हैं। इसके लिए राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर परविभिन्न प्रयास भी किए गए। महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक रूप से सुदृढबनाने मे स्वयं सहायता समुहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश मे लगभग60 लाख स्वयं सहायता समुहों से 6.7 करोड महिलाएं जुडी हुई हैं यह अध्ययन पुर्व के अध्ययनों को नवीनपरिदृश्य मे देखने का प्रयास है। इस शोध पत्र मे मुख्यत महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समुहों की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्दः महिला सशक्तिकरण, सहायता समुह, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति

1. प्रस्तावना

विश्व का आर्थिक विकास अपनी आधी आबादी ‘महिलाओ’ के कल्याण पर निर्भर हैं। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा मे जोडे बिना किसी राष्ट्र,राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक एंव राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं कीजा सकती हैं। नये भारत का सपना महिलाओं को सशक्त बनाये बिना पुरा नहीहो सकता है। महिलाओं की स्थिति देश के विकास को प्रदर्शित करती है। इन्हें इतना सशक्त बनाया जाए कि ये अपने जीवन मे व्यक्तिगत एंव सामाजिकनिर्णय लेने मे सक्षम हो जाए। इन्हें पुरूषों के बराबर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों मे निर्णय का अधिकार प्राप्त हों। साथ ही देश व समाज की प्रगति के लिए सक्षम महिला का विशेष महत्व है और देश का सम्पूर्ण

विकास महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर है। आज देश मे महिलाऐं सामाजिक, आर्थिक एंव राजनीतिक उत्थान की मुख्यधारा मे नही जुड पायी हैं, वहां निर्णयमे उनकी भागीदारी कम है। इस वातावरण मे महिलाओं से जुडी अनेक समस्याएंहै जिन्हें समाप्त कर इन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना होगा। यह न केवल शासकीय प्रतिबद्वता से बल्कि समस्त जागरूक नागरिक प्रयासों से संभव हो पाएगा। वर्तमान मे स्वयं सहायता समूहों से महिला आत्मनिर्भर होकर सामाजिक एंव आर्थिक दृष्टि से सक्षम हुई है। देश के विकास मे अपना योगदानदे रही है।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लिंग या आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है। महिलाएं हर अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। किसी राष्ट्रका सर्वांगीण विकास और सामंजस्यपूर्ण विकास तभी संभव होगा जब महिलाओं को पुरुषों के साथ प्रगति में समान भागीदार माना जाएगा। भारत में महिला सशक्तिकरण कई अलग–अलग चरों पर बहुत अधिक निर्भर है जिसमें भौगोलिक स्थिति (शहरी/ग्रामीण), शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति (जाति और वर्ग) और उम्र शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, लिंग आधारित हिंसा और राजनीतिक भागीदारी सहित कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय(पंचायत) स्तरों पर महिला सशक्तिकरण पर नीतियां मौजूद हैं। महिला सशक्तीकरण स्वायत्तता और उनके जीवन पर नियंत्राण को सक्षम बनाता है। सशक्त महिलाएं अपने खुद के विकास की एजेंट बन जाती हैं, अपने स्वयं के एजेंडे को निर्धारित करने के लिए विकल्पों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाती हैं और समाज में अपनी अधीनस्थ स्थिति को चुनौतीदेने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास आनुपातिक रूप सेसबसे कम संपत्ति, कौशल, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, नेतृत्व के गुण और लामबंदी की क्षमता होती है, जो निर्णय लेने और शक्ति की डिग्री निर्धारित करती है, और परिणामस्वरूप, पुरुषों पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। उन्हें घर कीचारदीवारी तक सीमित कर दिया गया है, वे घरेलू कार्यों के बोझ से दबी हुई हैं और अनादि काल से घर के पुरुषों द्वाराउनकी गतिशीलता और व्यक्तिगत स्वतंत्राता को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए वे शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ गई हैं और परिणामस्वरूप, उनके काम को आर्थिक दृष्टि से बहुत कम आंका गया है। महिलाओं कासशक्तिकरण अनिवार्य रूप से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है, यह उन्हें सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की प्रक्रिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण में महिलाओं की स्थितियों, महिलाओं के भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के लिए अवसर और लैंगिक समानता के महत्व के बारे में जागरूकता और चेतना पैदा करना, सामूहिक रूप से एक समूह का आयोजन करना, समूह की पहचान और समूह का दबाव शामिल है।

1.1 अध्ययन का महत्व

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के नेटवर्क में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। अभी तक जो महिलायें घर के कामों तक सीमित थीं, वो आज बाहर निकलकर सामूहिक स्तर पर विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों के निष्पादन से सम्बन्धित किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों में यह तथ्य उभरकार सामने आया है कि स्वयं सहायता समूहों को लघु ऋण प्रदान करने से ग्रामीण महिलाओं की भैातिक गतिशीलता, निर्णय के अधिकारों में वृद्धि, सौदा शक्ति तथा विभिन्न स्तरों पर समस्या समाधान करने की शक्ति में वृद्धि होने के कारण ग्रामीण विकास प्रक्रिया में उनका योगदान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इनके विकास के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार के इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है

कि इसी गॉव की महिलायें घर के बाहर निकलकर बैंक, ब्लाक, हास्पिटल तथा बाजार के कार्यो को स्वयं कर रही हैं और विभिन्न व्यवसायों को कुशलता पूर्वक कर यह सिद्ध कर चुकी हैं कि मात्र वे घर के कामों में ही कुशल नहीं, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करने में भी निपुण हैं। इस प्रकार महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण का यह प्रयास सराहनीय है।

2. अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन द्वारा महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का विश्लेषण और महिला सशक्तिकरण मे स्वयं सहायता समूह तथा लघु वित्त की भूमिका को देखना है।स्वयं सहायता समूह किस प्रकार पारिवारिक, सामाजिकस्थिति मे परिवर्तन ला रहे है। स्वयं सहायता समूहो के विकास मे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है।

- विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी का आकलन उनके बारे में उनकी जागरूकता और उनके कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी के आधार पर अध्ययन करना।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिला उत्तरदाताओं की भागीदारी के प्रभाव पर चर्चा करना

3. साहित्य की समीक्षा

अराम, एम, और पलनीथुराई, जी, (2020) अपने लेख "तमिलनाडु" में, जॉर्ज मैथ्यू में, (सं।), "राज्यों में पंचायती राज की स्थिति और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों 2000", कला की स्थिति को दर्शाते हैं। तमिलनाडु में पंचायती राज प्रणाली यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और के साथ संबंधित है आजादी से पहले और बाद में पंचायत प्रणाली की उत्पत्ति और 73 वें और बाद के 73 वें संशोधन। तमिलनाडु पंचायती अधिनियम 1994 के माध्यम से बनाई गई पंचायती संस्थाओं के ढांचे और कार्यो के बारे में एक विस्तृत चर्चा की गई है। कुछ हद तक प्रदर्शन के विश्लेषण के अनुरूप अनुरूप विधानों में विरोधाभासी प्रावधानों का भी विश्लेषण किया गया है। यह तमिलनाडु में पंचायती राज प्रणाली की स्थिति को चित्रित करने वाला एक पाठ है । "पंचायती राज संस्थाओं" पर अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जाँच करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया था ताकि एक विकेंद्रीकृत योजना और विकास को प्रभावी बनाया जा सके। समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज संस्थानों पर संरचना, कार्यो और वित्तीय, प्रशासनिक और मानव संसाधनों के उपयोग का निर्माण ग्रामीण विकास के प्रबंधन की उभरती कार्यात्मक आवश्यकता पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसने बलवंत राय मेहता समिति के तीन स्तरीय मॉडल के बजाय पंचायती राज के दो स्तरीय मॉडल की सिफारिश की। वे दो स्तर के जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम स्तर पर मंडल पंचायती थे । अथरेया, वी. बी. और राजेश्वरी, के.एस., ने "पंचायत राज में महिला भागीदारीः तमिलनाडु से एक केस स्टडी" पर अपने अध्ययन में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का पता लगाने का प्रयास किया है पंचायत नेताओं, उनकी समस्याओं और परिप्रेक्ष्य और चुनावों में लड़ने और पंचायतों के प्रबंधन की प्रक्रिया में उन्हें विभिन्न तिमाहियों से समर्थन प्राप्त होता है। अध्ययन में पता चला है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के क्षेत्र और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक नेतृत्व।

भार्गव, बी.एस.(2020) लेखक का कहना है कि बहुत अधिक राजनीति है और ऋणदाता और उनके सहयोगी केवल इन संस्थानों के लाभों का आनंद लेते हैं। ये संस्थाएँ आर्थिक रूप से बहुत ही सप्ताह

की हैं और इसके सदस्य अपने स्वार्थ को देखते हुए स्थिति और शक्ति का एकाधिकार करना चाहते हैं। समझ में राजनीतिक दलों की शक्ति अभिविन्यास, लेकिन सिस्टम के कामकाज की कीमत पर नहीं। लेखक ने सुझाव दिया कि पंचायती राज प्रणाली के संबंध में राजनीति के मानकों को बढ़ाने और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन में सुधार के लिए, इसके वैधता के उचित स्तर को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए।

4. अनुसंधान पद्धति

समय और धन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, शोधकर्ता के लिए जिले के सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अन्य उत्तरदाताओं से संपर्क करना और उनसे डेटा प्राप्त करना संभव नहीं था। अतः साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन एवं अन्य प्रतिचयन तकनीक अपनाई गई तथा 36 ग्राम पंचायतों, 36 ग्राम सभाओं, 48 क्षेत्र पंचायतों तथा 10 जिला पंचायत वार्डों का नमूना लेने का निर्णय लिया गया। जहां पर महिला प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। पीआरआई के कुल 274 सदस्यों को साक्षात्कार के लिए चुना गया था। शोधकर्ता द्वारा इन पंचायतों के सदस्यों से क्षेत्र से आंकड़े एकत्र करने के लिए संपर्क किया जाता है। उपरोक्त उत्तरदाताओं से प्राथमिक डेटा प्राप्त करने के लिए, शोधकर्ता ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए चार साक्षात्कार अनुसूची एक तैयार की। वर्तमान अध्ययन के लिए प्रयुक्त सूचना के द्वितीयक स्रोत जिसमें पुस्तकें, जर्नल, रिपोर्ट, ऑनलाइन स्रोत आदि शामिल हैं।

4.2 डेटा विश्लेषण के लिए तकनीकः

शोधकर्ता द्वारा उत्पन्न प्राथमिक डेटा को व्यवस्थित, वर्गीकृत, सारणीबद्ध और उसके बाद व्याख्या किया गया है। इस संदर्भ में, कंप्यूटर, इंटरनेट और सांख्यिकी उपकरण का उपयोग किया जाता है ताकि प्राथमिक डेटा से संबंधित जानकारी को निबंध समझा जा सके।

5. परिणाम एवं डेटा विश्लेषण

5.1 उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि विशेषताएँ

इस अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि विशेषताओं की रूपरेखा नीचे प्रस्तुत की गई है:

तालिका संख्याः 5.1

प्रतिनिधियों की शैक्षिक स्थिति

शैक्षिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित स्थिति	33	13.75
अशिक्षित	81	33.75
प्राथमिक स्तर	50	20.83%
जूनियर हाई स्कूल स्तर	43	17.91%
हाई स्कूल स्तर	25	10.4%
स्नातक स्तर	05	2.08%
स्नातकोत्तर स्तर	03	1.25%
कुल	240	100%

तालिका प्रतिनिधियों की शिक्षा की स्थिति को दर्शाती है। 13.75 प्रतिशत प्रतिनिधि अशिक्षित थे, 33.75 प्रतिशत ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षित किया था, 20.83 प्रतिशत ने हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी, 17.91 प्रतिशत ने हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी, 10.4 प्रतिशत ने इंटरमीडिएट स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी, 2.08 प्रतिशत ने स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी। और केवल 1.25 प्रतिशत प्रतिनिधियों ने स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी। यह कहा जा सकता है कि 68.96 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने प्राथमिक स्तर से लेकर हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी। यह नीति निर्माताओं और पंचायती राज संस्थाओं के लिए चिंताजनक बिंदु है, और यह महिला प्रतिनिधियों के सामने कई कठोरता पैदा करेगा। इसके अलावा, जूनियर हाई स्कूल स्तर से नीचे के अशिक्षित और शिक्षित प्रतिनिधि वर्षों से कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

तालिका संख्या 5.2

प्रतिनिधियों का जातिवार वर्गीकरण

जाति स्तर	संख्या	प्रतिशत
अनुसूचित जाती	30	12.5%
अनुसूचित जनजाति	12	5.0%
पिछड़ी जाति	96	40.0%
अगड़ी जाति	102	42.5%
कुल	240	100%

प्रतिनिधियों की जाति संरचना को तालिका में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि लगभग 42.5 प्रतिशत सदस्य सवर्ण जातियों/समुदायों से थे। अनुसूचित जाति के लिए प्रतिनिधित्व 12.05 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जनजाति 5.0 प्रतिशत और पिछड़ी जातियों के लिए 40.0 प्रतिशत है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का एक तिहाई प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उनके लिए सीटों के आरक्षण और विशेष रूप से महिलाओं ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। गौरतलब है कि 73वें संविधान संशोधन ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की शुरुआत की थी। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की जनसंख्या पर आधारित था। यह लोगों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने में सहायक है।

तालिका संख्या 5.3

उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से मामलों को संभालना

मुद्दे को संभालना	संख्या	प्रतिशत
हाँ	171	71.25%
नहीं	69	28.75%
कुल	240	100%

तालिका में उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से मामलों को संभालना दिखाया गया है। 71.25 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया था कि वे व्यक्तिगत रूप से मुद्दों को संभालती हैं जो कि पंचायती राज संस्था का मूल उद्देश्य है। दूसरी ओर, 28.75 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने उन मानदंडों को स्वीकार नहीं किया था। अधिकांश महिला उम्मीदवार बुनियादी पंचायती राज धारणा को अर्थ और बल देती हैं। लेकिन बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से पीआरआई से संबंधित मामलों को संभालने में सक्षम नहीं हैं।

तालिका संख्या 5.4

निर्णय लेने की प्रक्रिया में उत्तरदाताओं की भागीदारी की प्रकृति को दर्शाने वाली तालिका

निर्णय लेने में भागीदारी	संख्या	प्रतिशत
शामिल	68	28.33%
एक मामूली स्तर पर शामिल	97	40.41%
कम भागीदारी	55	22.91%
बहुत कम भागीदारी	20	8.3%
कुल	240	100%

तालिका संख्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में उत्तरदाताओं की भागीदारी की प्रकृति को दिखा रहा है। 28.33 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल किया था, 40.41महिला प्रतिनिधियों ने मामूली स्तर पर, 22.91 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने शामिल किया था। कम भागीदारी थी और 8.3प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों की बिल्कुल भी भागीदारी नहीं थी, अधिकांश महिला प्रतिनिधियों ने जमीनी लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया था। लेकिन पर्याप्त संख्या में महिला प्रतिनिधि जमीनी लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं थीं। यह नीति निर्माताओं के लिए एक पुनर्विचार का बिंदु है।

तालिका संख्या 5.5

उत्तरदाताओं द्वारा किए गए कार्यों

कार्य	संख्या	प्रतिशत
वार्ड की मौजूदा समस्याओं को पहचानें	68	27.85%
समस्या को पंचायती राज संस्थाओं की सभा में रखकर सहमति प्राप्त करना	112	44.1r
और योजना तक पहुँचने के लिए प्रारंभिक कार्य को समझने और सरकार को लेने के लिए	36	13.73%
आधे–अधूरे विकास को पूरा करने की शुरुआत	24	10.20%
लोगों द्वारा पहचानी गई समस्याओं को रखना	66	26.67%

नोटः कई विकल्पों के कारण प्रतिशत 100 के बराबर नहीं है

तालिका संख्या 6.31 में उत्तरदाताओं द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाया गया है। 27.85 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि वार्ड की मौजूदा समस्याओं को पहचानती हैं, 44.1 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं की सभा में समस्या को रखकर सहमति प्राप्त करती हैं, 13.73 प्रतिशत प्रारंभिक कार्य को समझने और सरकार को लेने के लिए एवं योजना तक पहुँच, 10.20 प्रतिशत अधूरे विकास को पूरा

करने के लिए शुरुआत करते हुए और 26.67 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने लोगों द्वारा पहचानी गई समस्याओं को रखा। यह स्पष्ट है कि प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रकार में भिन्नता है।

तालिका संख्या 5.6

प्रतिनिधियों द्वारा की गई विशेष भागीदारी

विशेष भागीदारी	संख्या	प्रतिशत
बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की शुरुआत	44	16.40%
शराबबंदी की जानकारी	10	4.35%
स्वच्छता पर ध्यान दें	112	41.58%
आईसीडीएस योजना का उचित कार्यान्वयन	90	33.92%
मनरेगा योजना का समुचित क्रियान्वयन	62	23.36%

नोटः कई विकल्पों के कारण प्रतिशत 100 के बराबर नहीं है

तालिका 6.32 में प्रतिनिधियों की विशेष भागीदारी दिखाई दे रही है। 16.40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए शुरुआत में शामिल किया था, 4.35 प्रतिशत ने शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचना में शामिल किया था, 41.58 प्रतिशत ने स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया था, 33.94 प्रतिशत ने इसमें शामिल किया था। आईसीडीएस योजना के उचित कार्यान्वयन और 33.92 प्रतिशत ने मनरेगा योजना के उचित कार्यान्वयन में शामिल किया था। यह स्पष्ट है कि महिला प्रतिनिधियों ने सकल मूल स्तर पर लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाओं में शामिल किया था।

तालिका संख्या 5.7

पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को पर्याप्त आर्थिक सहायता के मुद्दे पर प्रतिवादियों का दृष्टिकोण

राय	संख्या	प्रतिशत
हाँ	150	62.5%
नहीं	58	24.16%
ज्ञात नहीं है	32	13.33%
कुल	240	100%

आंकड़ा दर्शाता है कि पंचायती राज संस्थाओं के 62.5 प्रतिशत सदस्य पर्याप्त समर्थन चाहते हैं लेकिन 24.16 प्रतिशत नहीं चाहते जबकि 13.33 प्रतिशत ने कोई विचार व्यक्त नहीं किया। अंततः अधिकांश पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता चाहते हैं।

तालिका संख्या 5.8

उत्तरदाताओं की शक्ति और स्थिति की संतुष्टि का स्तर

शक्ति और स्थिति की संतुष्टि	संख्या	प्रतिशत
महान	12	5.0%
अच्छा	95	39.58%
न अच्छा न बुरा	80	33.3%
नहीं कह सकता	53	22.08%
कुल	240	100%

तालिका जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में उत्तरदाताओं की शक्ति और स्थिति की संतुष्टि के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। 5.0 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने शक्ति और स्थिति के माध्यम से महान स्तर की संतुष्टि प्राप्त की थी, 39.58 प्रतिशत ने अच्छे स्तर की संतुष्टि प्राप्त की थी, 33.3 प्रतिशत ने न तो प्राप्त की थी। अच्छा और न ही बिस्तर का स्तर संतुष्टि का और 22.08 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने कोई राय नहीं कहा। यह स्पष्ट है कि अधिकांश महिला प्रतिनिधियों ने अपनी शक्ति और स्थिति को संतुष्ट किया था। लेकिन बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधियों ने अपनी शक्ति और स्थिति को संतुष्ट नहीं किया था। यह नीति निर्माताओं के लिए एक प्रतिक्रिया है।

तालिका संख्या 5.9

पुरुष प्रतिनिधियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में वर्चस्व का स्तर

पुरुष द्वारा वर्चस्व	संख्या	प्रतिशत
उच्च्व वर्चस्व	41	17.08%
मध्यम वर्चस्व	54	22.5%
न्यूनतम वर्चस्व	48	20.0%
नहीं कह सकता	91	37.91%
कुल	240	100%

तालिका बैठक में पुरुष प्रतिनिधियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में वर्चस्व के स्तर को प्रस्तुत करता है। 17.08 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने पीआरआई में पुरुष प्रतिनिधियों द्वारा उच्च वर्चस्व को स्वीकार किया था, 22.50 प्रतिशत ने मध्यम पुरुष वर्चस्व को स्वीकार किया था, 20.00 ने न्यूनतम पुरुष वर्चस्व को स्वीकार किया था और 37.91 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया था। प्रतिनिधियों ने कहा था कि पुरुष वर्चस्व के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं ने जड़ स्तर के लोकतंत्र में पुरुष वर्चस्व का सामना किया है। पंचायती राज संस्थाओं और नीति निर्माताओं के सामने उस प्रथा को जड़ से उखाड़ना चुनौती है।

6. निष्कर्ष

महिलाओं को आत्मनिर्भर एंव स्वावलम्बी बनाकरउनका सशक्तिकरण करने मे स्वयं सहायता समूहमहत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। विभिन्न अध्ययनों मे पायागया कि इन समूहों के माध्यम से महिलाएं घरेलु हिंसा, शोषण से मुक्त हुई हैं। समाज मे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। आर्थिक तत्व जीवन का सबसे प्रमुख अंगहै और इन समूहों से महिला को आर्थिक आजादी प्राप्त हुई हैं। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को विकास कीमुख्यधारा मे जोड कर उनके सामाजिक, व्यक्तिगत एंव आर्थिक जीवन मे परिवर्तन कर उनका सशक्तिकरण किया हैं। स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त के द्वारा महिलाओं केआत्मविश्वास एंव स्वावलंबन मे वृद्वि करते हैं। इनसे महिलाओं मे आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा बचत की प्रवृति बढी हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों को महिला सम्बलन का प्रमुख आधार माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों मे इन समूहों के द्वारा ही महिला सशक्तिकरण सम्भव हो पाया हैं। इसमें सरकारी विभिन्न सरकारी एंव गैर–सरकारी संगठनों के भी सराहनीय प्रयास रहे हैं। सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी आर्थिक योजनाओं से स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ किया गया है। वित्तीय एंव प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य नाबार्ड द्वारा पुरे किए जा रहे हैं। आगे भी अधिक प्रयास एंव स्वयं सहायता समूहों के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहुजा, राम (1993) इंडियन सोशियल सिस्टम, न्यू दिल्ली, रावत पब्लिकेशन।
2. अलाग, वाई.के (2000) पंचायती राज एण्ड प्लानिंग इन इंडिया पार्टिसिपेटरी इंस्ट्टीयूट एण्ड, रूरल रोड़, न्यू दिल्ली, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डवलपमेंट।
3. अल्तेकर, ए.एस.(1958) स्टेट एण्ड गार्वमेंन्ट इन एशियन्ट इंडिया, दिल्ली मोतीलाल बनारसी दास।
4. अवस्थली, आई.एल. (1990), ''डिसेन्ट्रलाइजेशन प्रस्पेक्टिव एण्ड रूरल डवलपमेंट इन रूरल इंडिया, कॉमनवेल्थ पब्लिर्शस, न्यू दिल्ली, पी.पी. 123–133
5. आलपोर्ट, एफ.एच. (1924), ''सोशल साइकॉलाजी'', हॉगटन मिफिन कम्पनी, वोस्टन
6. अग्रवाल, जी.के. एवं पॉण्डेय, एस.एस. (1985), ''ग्रामीण समाजशास्त्र'', आगरा बुक डिपो, आगरा।
7. बोगार्डस, ई.एस. (1954), ''इन्ट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च,'' मैकनिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क
8. वनार्ड, एस.फिलिप्स (1966), ''सोशल रिसर्च स्ट्रेरेजी एण्ड टैक्टिस'', मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क
9. बधेल, डी.एस. (2004), ''समाजशास्त्र'', कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
10. बरार, विजयलक्ष्मी नारायण (2003), ''पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन मनिपुर'', पीउसीएल बुलेटिन, जुलाई
11. बहुरा, एन.के. एण्ड एन.पनिग्राही (2004), ''स्टेट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन द शुडल एरिया ऑफ ओरिसा : एन एपिरिकल स्टडी'', मेन इन इंडिया, जनवरी–दिसम्बर–84
12. भार्गव, बी.एस. (1979), ''ग्रोस रूटस लोडरशीप इन पंचायती राज इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली।
13. भार्गव, बी.एस. (1999), ''पंचायती राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज, न्यू दिल्ली।
14. भन्नोट, शिव कुमार (2000), ''राजस्थान में पंचायत व्यवस्था'' यूनिवर्सिटी बुक डिपो, जयपुर।
15. चौधरी पी.के. (1969), ''पंचायती राज इन एक्शन : ए स्टेडी ऑफ राजस्थान'', इन एन.आर. देसाई (ईडी) रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया बाम्बे पोपुलर प्रकाशन।
16. चौपड़ा, परान (2003), ''क्लाउड़ ओवर पंचायतीराज : द हिन्दु, सितम्बर–13।
17. चौहान बृजराज (1967), ''लीडरशीप इन राजस्थान विलेज'', इन विद्यार्थी, एल.पी. (सम्पा.), लीडरशीप इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे।
18. द्विवेदी, राधेश्याम (2002), ''मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम'' सुविधा लॉ हाउस, भोपाल।
19. दर्शनकर, अर्जुन (1979), ''लीडरशिप इन पंचायत राज'', पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
20. डी.एन. (1989), ''रिजर्वेशन फॉर श्मन इन पंचायत इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल विकली, वॉल्यूम 24 नं. 23, जून पेज 1269।
21. देसाई, बसन्त (1980), पंचायती राज पॉवर टू द पिपल, बाम्बे, हिमालय पब्लिशिंग कम्पनी।
22. देसाई, वसन्त (2005), पंचायती राज : पॉवर टू पिपिल, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, 2005।
23. दयाल, राजेश्वर (1970), पंचायती राज इन इंडिया, दिल्ली मेट्रोपोलिटन बुक कम्पनी।
24. गांधी, एम.के. (1969), पंचायती राज, अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन।